दिनांक 29.08.2020
प्रेस विज्ञप्ति 37/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीमेन पावर लाइन–1090 का किया गया औचक निरीक्षण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 29.08.2020 को प्रातः समय 10.05 पर वीमेन पावर लाइन–1090 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सर्वप्रथम वीमेन पावर लाइन–1090 भवन परिसर का भ्रमण किया गया। परिसर भ्रमण के दौरान कुछ स्थानों पर बिल्ड़िग सामग्री बेतरतीब पड़ी दिखायी दी। बिल्ड़िग सामग्री भवन में हो रहे कार्य से सम्बन्धित बतायी गयी। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये गये कि रख–रखाव एवं साफ–सफाई पर विशेष बल दिया जाय। **कोविड प्रोटोकाल के दृष्टिगत भवन व परिसर की साफ–सफाई व उसके सेनेटाइजेशन** पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- वीमेन पावर लाइन–1090 कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान काल टेकर्स के मध्य सोशल डिस्टेसिंग पर बल देते हुए कार्यस्थल पर कोविड प्रोटोकाल के सम्बन्ध में **शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन** कराते हुए सेनेटाइजेशन आदि कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
- भ्रमण के दौरान उपस्थित दिवस अधिकारी द्वारा **सेफ सिटी प्रोजेक्ट** पर हो रहे कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के प्रचलित कार्यो का निरीक्षण किया गया तथा **निर्धारित अवधि में गुणवत्तापरक कार्य** करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।
- भ्रमण के दौरान पर्यवेक्षण कार्यो में नियुक्त कुछ अधिकारी अनुपस्थित व विलम्ब से आना पाये गये, जिसके सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक वीमेन पावर लाइन– 1090 को निर्देशित किया गया कि वे सम्बन्धित से स्पष्टीकरण प्राप्त करें एवं सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी/कर्मचारी समय से ड्यूटी पर उपस्थित हों।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के कम में निर्देश दिये गये है।

उक्त कम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

- चालान किये गये वाहनों की संख्या — 3615714
- सीज किये गये वाहनों की संख्या — 70040
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** — **70,85,01,259**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 208589
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 851

जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.08.2020 की रात्रि थाना बहेड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना बहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत नदेली रोड के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी कलेक्टर सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली, पीलीभीत आदि के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कलेक्टर सिंह निवासी ग्राम कमलापुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल।

जनपद सम्भल/थाना कोतवाली सम्भल

- **अवैध शराब का निर्माण कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 45 ड्रम रेक्टिफाईड स्प्रिट व अन्य उपकरण**
- **02 कार आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2020 को थाना कोतवाली सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मुरादाबाद रोड़ बुलेट मोटर साइकिल शोरूम के आगे खेत में गेट

लगी चार दीवारी में अवैध शराब का निर्माण कर रहे 03 अभियुक्तों 1.महेन्द्र उर्फ भूरा, 2.बिट्टू, 3.महेन्द्र को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 45 ड्रम रेक्टिफाईड स्प्रिट व अन्य उपकरण, 02 कार, अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामग्रभ आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. महेन्द्र उर्फ भूरा निवासी शहजादी सराय थाना कोतवाली सम्भल जिला जनपद सम्भल।
2. बिट्टू निवासी महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।
3. महेन्द्र निवासी मो0नई बस्ती हातिम सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1. लगभग 25 लाख रू0 कीमत की 45 ड्रम रेक्टिफाईड स्प्रिट कुल 2250 लीटर व अन्य उपकरण
2. अवैध शराब बनाने की सामग्री व उपकरण
3. 02 कार आदि।

जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 अवैध तमंचे 315 बोर मय 25 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध पोनिया 315 बोर**
- **01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर**
- **03 अवैध तमंचा 132 बोर मय 09 कारतूस बरामद**

दिनांक 28.08.2020 की रात्रि थाना बाबूगढ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम मोहम्मदपुर आजमपुर बांके लाल का आम के बाग से घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों 1.मोहित, 2.राहुल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 15 अवैध तमंचे 315 बोर मय 25 जीवित कारतूस, 01 अवैध पोनिया 315 बोर, 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 03 अवैध तमंचा 132 बोर मय 09 कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. मोहित निवासी मौहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
2. राहुल निवासी मौहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

<u>बरामदगी</u>

1. 15 अवैध तमंचे 315 बोर मय 25 जीवित कारतूस
2. 01 अवैध पोनिया 315 बोर
3. 01 अवैध रिवाल्वर 32 बोर
4. 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर
5. 03 अवैध देशी तमंचा 132 बोर मय 09 कारतूस

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर टॉप–10/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.08.2020 की रात्रि थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बघरा से कब्रिस्तान के रास्ते रजवाहे की पटरी की तरफ से आ रहे मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त हासिम उर्फ पोला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर एवं टॉप–10 अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरियाणा, मुजफ्फरनगर, शामली के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. हासिम उर्फ पोला निवासी मो0रैदासपुरी कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद रामपुर/थाना स्वार</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान खुशहालपुर मोड़ से घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी जमील को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 815/2019 धारा 452/302/323/504 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. जमील निवासी वार्ड नम्बर–7 कस्बा मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर।

जनपद बलिया/थाना फेफना

- **25–25 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 29.08.2020 को थाना फेफना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बंधैता गेट के पास घेराबंदी कर 25–25 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी 1.उदय उर्फ उदय नारायण, 2.अनिल, 3. तेजबहादुर उर्फ कुमकुम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेफना में पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड से सम्बन्धित मु0अ0सं0 166/2020 धारा 147/148/149/302 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. उदय उर्फ उदय नारायण निवासी ग्राम फेफना थाना फेफना जनपद बलिया।
2. अनिल निवासी ग्राम फेफना थाना फेफना जनपद बलियां
3. तेजबहादुर उर्फ कुमकुम निवासी ग्राम फेफना थाना फेफना जनपद बलिया।

बरामदगी

1. घटना में प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी।

जनपद आजमगढ़/थाना निजामाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 29.08.2020 को थाना निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान परसहां रेलवे क्रासिंग की तरफ से आ रहे बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस

कार्यवाही में 25–25 हजार रू0 के 03 अभियुक्त 1.अमित, 2.गगन, 3.प्रमोद उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण दिनांक 24.08.2020 को हुई हत्या की घटना के संबंध में थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2020 धारा 147/148/149/504/506/302/342 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमित निवासी ग्राम बड़हरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. गगन निवासी बड़हरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. प्रमोद उर्फ गोल्डी निवासी बकियालक्षिरामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
2. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना लोनीकटरा

- **10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 29.08.2020 को थाना लोनीकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मोधूपुर मोड़ से घेराबंदी कर 10 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी त्रिभुवन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों में चोरी, यूपी गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना लोनीकटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2020 धारा 3(1)यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोनीकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. त्रिभुवन निवासी शेखपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नांव।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना जहानगंज</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस**
- **01 अवैध अधबना तमंचा 315 बोर बरामद**

दिनांक 29.08.2020 को थाना जहानगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल कोरी खेडा से घेराबंदी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त मजहब सिंह को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 03 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस, 01 अवैध अधबना तमंचा 315 बोर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जहानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. मजहब सिंह निवासी कुईयाबूट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद।

बरामदगी

1. 07 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस
2. 03 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस
3. 01 अवैध अधबना तमंचा 315 बोर।

जनपद बिजनौर/थाना धामपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का ट्रक**
- **विभिन्न बोर के 03 अवैध तमंचे मय कारतूस बरामद**

दिनांक 29.08.2020 को थाना धामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नहर पुलिस चकराजमल स्योहरा रोड से 05 अभियुक्तों 1.महबूब, 2. जाहिद, 3.विवेक, 4.संतोष उर्फ मुन्ना, 5.मुकीम उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी का ट्रक, 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18/19.08.2020 को ट्रक चोरी के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 350/2020 धारा 379/411/420/467/468/ 471 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। बरामद ट्रक उक्त अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. महबूब निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
2. जाहिद निवासी खेडा लक्ष्मीपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
3. विवेक निवासी रेलवे गंज कस्बा व थाना हरदोई जनपद हरदोई।
4. संतोष उर्फ मुन्ना निवासी राधा नगर बिलग्राम चुंगी हरदोई जनपद हरदोई।
5. मुकीम उर्फ बबलू निवासी नुमाईश पूर्वा हरदोई जनपद हरदोई।

बरामदगी

1. 01 चोरी का ट्रक
2. 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय कारतूस
3. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस

जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 27 हजार रू0 नकद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.08.2020 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नया टोल टैक्स धामपुर रोड से 02 अभियुक्तों 1.गोरव, 2.हरीश उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 27 हजार रू0 नकद, 01 टेबलेट,घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2020 को थाना नगीना पर वादी की लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 377/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद नकदी आदि उक्त अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. गौरव निवासी ग्राम भजीपुरा उर्फ अलादीन उर्फ भौजी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हरीश उर्फ रवि निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के 27 हजार रू0 नकद
2. 01 टेबलेट
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
4. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि

<u>जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार रू0 नकद**
- **चोरी के सोने–चांदी के जेवरात**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 28.08.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरटीओ चौराहा के पास घेराबंदी कर 04 अभियुक्तों 1.वीरेश, 2.मो0समीर उर्फ मून उस्मानी, 3.सोनू, 4.ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 05 हजार रू0 नकद, चोरी के सोने–चांदी के जेवरात, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद नकदी व जेवरात थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2020 धारा 457/380 व मु0अ0सं0 208/2020 धारा 457/380 भादवि की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. वीरेश निवासी खुटहान थाना कोतवाली देहात हाल पता धन्नू पुरवा थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।
2. मो0समीर उर्फ मून उस्मानी निवासी मोमिना सराय थोक पूर्वी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

3. सोनू निवासी धन्नू पुरवा थाना कोतवाली शहर कोतवाली हरदोई।

4. ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू निवासी कन्हई पुरवा थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के 05 हजार रू0 नकद
2. चोरी का सोने का गले का हार एवं कान के झाले, टूटे हुए मोती, 01 कान में पहनने वाली नथ।
3. चोरी की चांदी की 01 जोड़ी पायल, पुरानी इस्तेमालित 03 जोड़ी बिछिया।
3. चोरी के चांदी के 02 अमरबन्द, छल्ला, लॉकेट व 04 जोड़ी बिछिया।
4. 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस ।

———